रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No D. (D N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 165] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1982/भाद्र 27, 1904
No. 165] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1982/BHADRA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 36 ईटीसी (पी एन)/82

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1982

विषय 1-1-1983 से 31-12-1983 तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, कनाडा स्वीडन, आस्ट्रिया और फिनलैंड को खुत सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत सूत के कुछ कपड़ा और/या ऊन और मनुष्य निर्मित धागों से तैयार मदों के निर्यात के लिए योजना।

सिविल सं० 2/53/82-ई 1—1 योजना यह योजना 1-1-83 से 31-12 83 तक की अवधि के लिए (1) संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली, बेनेलक्स, यू० के०, आयरलैंड, डेनमार्क और ग्रीस), स्वीडन, आस्ट्रिया और कनाडा को सूत, ऊन और मनुष्य निर्मित धागों और (2) फिनलैंड को सूत और मनुष्य निर्मित धागों के कुछ कपड़ा और/या तैयार मदों के निर्यात से संबंधित है।

2 प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना में संकेतित नीति भारत और संबद्ध आयात करने वाले देशों के बीच संबद्ध द्विपक्षीय वस्त्र समझौते के प्रावधानों पर आधारित संशोधनों/प्रबंधनों के अधीन है। ऐसे समझौते पर अभी बात चल रही है/अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन बातों की कुछ अन्य विशेषताओं अर्थात् नीति को शासित करने के लिए अभिकरण, विभिन्न पद्धतियों के अधीन विभिन्न सेगमेन्ट (पीएल/एम एम/एच एल/केटी) में मात्रा का आरक्षण आवंटन की शर्तें, अपील प्रावधान, लदान से पूर्व औपचारिकताएं और सीमा शुल्क निकासी आदि की घोषणा उचित समय के भीतर में कर दी जाएगी।

3 मात्रा आवंटन की प्रक्रिया और कोटा वर्ष का विभाजन

निर्यात के लिए मात्रा के आवंटन की तीन पद्धतियां होंगी :—

31 25% के वार्षिक स्तर का आवंटन भूत काल के निष्पादन के आधार पर किया जाएगा। शेष (वार्षिक स्तर का 75% भाग का आवंटन "पहले आए सो पहले पाए की सविदा आरक्षण के आधार पर और "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के आधार पर क्रमश 55 45 के अनुपात में किया जाएगा। भूत कालीन निष्पादन के आधार पर आवंटन के उद्देश्य के लिए 1-1-83 से 30-9-83 तक एक एकल अवधि होगी। लेकिन, "पहले आए सो पहले पाए' सविदा आरक्षण और "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के लिए कोटा वर्ष को छ-छ महीनों की दो अवधियों में बांटा जाएगा जो 1-1-83 से 30-6-83 और 1-7-83 से 31-12-83 होगी। इन पद्धतियों 'पहले आए सो पहले पाए" सविदा आरक्षण और पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के अन्तर्गत 60% मात्रा पहले की आधी अवधि में और 40% दूसरी आधी अवधि में उपलब्ध होगा।

1 भूतकालीन निष्पादन कोटा :

4 1 हकदारियों के निर्धारण के लिए अभिकरण प्रत्येक निर्यातक के संबंध में भूतकालीन निष्पादन प्रक्रिया के अधीन कोटे की हकदारी की

गणना करने वाला अभिकरण सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई (टेक्स्प्रोसिल) होगा। इस संबंध में वस्त्र आयुक्त प्रक्रिया निर्धारित करेंगे और कार्य का निरीक्षण करेंगे।

आधार अवधि :

4.2 प्रत्येक देश/श्रेणी समूह के लिए हकदारी का नियतन, प्रत्येक निर्यातक के लिए प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए 1980, 1981 और जनवरी-जून 1982 के दौरान औसत निर्यात के आधार पर किया जाएगा।

4.3. **भूतकालीन हकदारी का हस्तांतरण :**— निम्नलिखित शर्तों के आधार पर भूतकालीन हकदारी हस्तांतरणीय होगी :—

(1) वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी निर्यातक को अपनी हकदारी के किसी भी हिस्से का हस्तांतरण करने का एक निर्यातक को विकल्प होगा।

(2) हस्तांतरित मात्रा उस हस्तांतरी के निर्यात के रूप में मानी जाएगी जो वास्तव में माल का लदान करता है।

(3) हस्तांतरी के पास की हकदारी उन्हीं शर्तों एवं नियमों के अधीन होगी जो हस्तांतरक के पास के कोटे के लिए लागू हैं।

(4) कोई निर्यातक, जिसमें अपनी मात्रा विशेष श्रेणी/देश के किसी अन्य निर्यातक को हस्तांतरित कर दी है वह उसी श्रेणी/देश के किसी अन्य निर्यातक से अपने लिए मात्रा के हस्तांतरण के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) विशेष देश/श्रेणी के भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तांतरण उस निर्यात के लिए अनुमेय नहीं होगा जिसके पास उसी देश/श्रेणी में "पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण कोटा हो ?

5. **"पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण पद्धति :**

"पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण के आधार पर अवंटन के लिए निर्यातक को आवेदनपत्र के साथ जहां अवंटन की यूनिट किलोग्राम में होती हो वहां सभी श्रेणियों/देशों के मामले में 50 पैसे/किलोग्राम की दर पर, संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा की वस्त्र श्रेणियों में समतुल्य 5 पैसे/वर्ग गज की दर पर और यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमरीका को रुमालों के निर्यात के मामले में 12 पैसे प्रति रुमाल की दर पर परिगणित मूल्य के लिए बैंक गारंटी द्वारा संभरित निष्पादन बांड देना होगा। अन्य संबंधित श्रेणियों/देशों के लिए दर की घोषणा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा की जाएगी। इस पद्धति के अन्तर्गत पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन 21 दिन की अवधि के लिए वैध होगा और इस शर्त के अधीन होगा कि संबद्ध अवधि समाप्त होने की तिथि से पूरे 10 दिनों से अधिक के लिए किसी भी अवधि के दौरान किया गया कोई भी पृष्ठांकन वैध होगा।

5.1. "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल पद्धति : "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के आधार पर आवंटन के मामले में निर्यातकों को जहां कहीं भी लागू हो, वस्त्र समिति का निरीक्षण पत्र, ए० आर० 4/ए० आर० 5 प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे। "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के आधार पर आवंटन के मद्दे लदान कोटा पृष्ठांकन की तारीख से पूरे 10 दिनों के भीतर करना पड़ेगा। लेकिन वस्त्र आयुक्त के विशेष प्रमाणन के आधार पर वैध कारणों से कुछ विशेष मामलों में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

6. **धीमी रफ्तार की मदें :**

वर्ष 1982 के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार वस्त्र आयुक्त भूतकालीन निर्यातों और वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर धीमी रफ्तार वाली मदों का अभिज्ञान करेगा और उनकी सूची की घोषणा करेगा।

7. **निर्यात की अनुमति** भारत के किसी भी पत्तन से दी जाएगी।

8. सरकार को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के पूर्वोक्त व्यवस्थाओं में कोई भी संशोधन कर सकती है।

निर्यात संवर्धन परिषद्, के पते इस प्रकार हैं :—

सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्
इंजीनियरिंग सेंटर,
5वीं मंजिल
9 मेथ्यू रोड
बम्बई-400 004

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 36-ETC(PN)/82

New Delhi, the 18th September, 1982

Sub : Scheme of exports under OGL. 3 of certain Fabrics and/or made-up items made from Cotton, Wool and man-made fibres, to USA, European Economic Community Member States, Canada, Sweden, Austria and Finland from 1-1-1983 to 31-12-1983.

File No. 2/53/82-EI.—1. The Scheme : This Scheme relates to the export of certain Fabrics and or made-up items f (i) Cotton, Wool and man-made fibres to USA, European Economic Community-Member States, (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, U.K., Ireland, Denmark and Greece), Sweden, Austria and Canada and (ii) Cotton and man-made fibres to Finland for the period 1-1-1983 to 31-12-1983.

2. The Policy indicated in this Public Notice is subject to amendments/amplifications based on the provisions of the relevant bilateral Textile Agreements between India and the concerned importing countries. Such agreements are currently under negotiation/finalisation. Certain other features of this policy viz. Agency for Administration of the Policy, Reservation of quantities into various segments (PL/MM/HL/KT) under different systems, terms and conditions of allotment, appeal provisions, pre-shipment formalities and customs clearance etc., will be announced in due course.

3. Systems and quantum of allotment, and Divisions of the allotment year :

There will be three systems of allocation of quantity for export :—

3.1. 25 per cent of the annual level wil be allocated on the basis of past performance. The balance (75 per cent of Annual level) will be allocable on FCFS contract reservation basis and FCFS ready goods basis in the ratio of 55 : 45 respectively. For the purpose of allotment on the basis of past performance there will be single period from 1-1-1983 to 30-9-1983. However, for FCFS contract reservations and FCFS ready goods, the year will be divided into the six months period 1-1-1983 to 30-6-1983 and

1-7-1983 to 31-12-1983. 60 per cent of the quantity available under these systems (FCFS Contract reservation and FCFS Ready Goods) will be allotted during the first period and 40 per cent during the second period. The above periods|systemwise ratios may, however, be modified by the Government depending upon the demand patterns and other parameters.

4. Past performance Entitlement :

4.1 Agency for determining entitlements.—The agency for calculation of the entitlement under the past performance system in respect of each exporter will be the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, (TEXPROCIL). The Textile Commissioner will lay down procedures in this regard and supervise the work of the TEXPROCIL.

4.2 Base period.—The entitlement will be determined prorata for each country|category combination on the basis of the average of export during 1980, 1981 and January—June 1982 for each country| category for each exporter.

4.3 Transferability of past performance entitlement.—4 PP entitlement shall be transferable subject to the following conditions:—

1. An exporter will have the option to transfer any portion of his entitlement to any other exporter at any time during the year.
2. The quantity transferred shall be counted as exports of the transferee, who actually ships the goods.
3. The entitlement in the hands of the transferee shall be subject to the same terms and conditions as those applicable to it in the hands of the transferer.
4. Any exporter, who has transferred quantities in a particular category|country to another exporter shall not be eligible to seek transfer from any other exporter to himself in the same category|country.
5. Transfer of PP entitlement in a particular country|category shall not be allowed to the exporters who have FCFS Contract reservation quota in the same category|country.

5. FCFS Contract Reservation systems :

For allotment on FCFS contract reservation basis, the exporters will have to submit, alongwith the application, performance bond backed by bank guarantee for the value calculated at the rate of 50 paise| kg. in case of all categories|countries where the unit of allocation is in Kilogram, 5 paise per square yard equivalent in Fabric categories of USA and Canada and 12 paise per piece in case of exports of handkerchiefs to European Economic Countries and USA. The rates for other categories|countries concerned will be announced by TEXPROCIL under this system, endorsement by the TEXPROCIL shall be valid for a period of 21 days subject to the condition that no endorsement made during any period shall be valid beyond 10 clear days from the expiry of the period concerned.

FCFS ready goods systems :

5.1 In the case of allocation of quantity on the basis of FCFS ready goods, the exporters ill have to submit the Textile Committee inspection certificate, AR 4|AR 5 forms, whenever applicable, alongwith the application and shipping documents. Shipments against allocation on FCFS ready goods basis will have to be offered within 10 clear days from the date of quota endorsement. However, this period can be extended in exceptional cases for valid reasons on specific authorisation from Textile Commissioner.

6. Slow moving items :

In line with the practice followed during the year 1982, the Textile Commissioner, will identify and announce a list of slow moving items on the basis of past exports and prevailing trends.

7. Exports will be allowed from any port in India.

8. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

9. The address of the EPC is as follows :

The Cotton Textile Export Promotion Council,
Engineering Centre,
5th Floor,
9, Mathey Road,
Bombay-400001.

MANI NARAYANSWAMY, Chief Controller
Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982